...लय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
01/22	212 RTA	कबरवां	छबड़ा

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
मुस0 गायत्री बाई	बनाम	गोपाल वगै0

वकील :-	आदेश पत्रक	वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
12/01/22	अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट विरूद्व प्रतिवादी गण के इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया ग्राम ~~खाखस्का~~ कबरवां तह0 छबडा की विवादित आराजी खसरा नं0 37 रकबा 1.16 बीघा खसरा न0 42/1 रकबा 2.08 बीघा खसरा नं0 50 रकबा 5.08 बीघा खसरा नं0 54 रकबा 1.14 बीघा खसरा नं0 62/1 रकबा 0.04 बीघा खसरा नं0 63/1 रकबा 1.04 बीघा खसरा नं0 68 रकबा 1.17 बीघा खसरा नं0 103 रकबा 3.06 बीघा खसरा नं0 134 रकबा 7.11 बीघा खसरा नं0 170 रकबा 2.16 बीघा कुल किता 10 रकबा 28.04 बीघा एवं खसरा नं0 178/107 रकबा 4.09 बीघा एवं खसरा नं0 179/107 रकबा 0.03 बीघा कुल किता 2 रकबा 4.12 बीघा भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रर्थीगणो को जवाब पेश होने तक अस्थाई निषेघाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। तथा निर्देशित किया जाता है कि उक्त विवादित भूमि का दान, रहन ,बेचान आदि न तो स्वंस करे न ही अपने प्रतिनिधियो से करावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगणो को जरिये सम्मन तलब कर पत्रावली दिनांक 08.02.2022 को पेश हो (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी छबड़ा, जिला बारां (राज0)	
8/2/22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रतिवादी गणों के वाद तामील सम्मन प्राप्त। प्रतिवादी क्र. 1 ता 5 की ओर से श्री अमर सिंह मीना एडवो. का वकालत नामा पेश हुआ। जवाब हेतु समय चाहा है वास्ते जवाब पत्रावली दिनांक 14/3/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश
13.8.25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० बहस हेतु समय चाहते हैं। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 20.8.25 को पेश हो।
20.8.25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी का मूल वाद खारिज किया जा चुका है इस प्रकरण में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नियत अनुसार बाद तामील तकमील के दाखिल दफ्तर हो।